



कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)
जिला पशुपालन कार्यालय, गढ़वा।
राज्य योजना अन्तर्गत जोड़ा बैल योजना वित्तीय वर्ष 2024-25

स्व-अभिप्रेमाणित
फोटोग्राफ

आवेदन का प्रारूप

योजना का पात्रता :- 90% अनुदान राशि

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. पता :-
(क) ग्राम :-..... (ख) पंचायत :- (ग) प्रखण्ड :-
(घ) जिला :- गढ़वा (ङ) राज्य:- झारखण्ड (च) पिन कोड :-.....
4. BPL सं० (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
5. आधार नं० :-..... (छायाप्रति संलग्न करें)।
6. मोबाईल नं० :-
7. योजना का संचालन Escrow Account/Dedicated Account के माध्यम से किया जायेगा
8. आवेदक की श्रेणी :- अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जनजाति (ST) ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य ☐
अगर जाति है✓ तो (ST, SC) :- जाति प्रमाण-पत्र/मुखिया/ पंचायत समिति सदस्य/ जिला परिषद सदस्य द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
9. स्थानीय निवास :- (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. जमीन की स्व० अभिप्रेमाणित ब्योरा :-
11. विगत पाँच वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा योजना का क्या लाभ मिला है :- हाँ/नहीं :-.....
12. ग्राम सभा का अनुशंसा हाँ/नहीं, (अनुशंसा का क्रमांक सं० :- (छायाप्रति संलग्न)।

घोषणा :- उपरोक्त विवरणी सही है जाँचोपरान्त गलत पाये जाने पर मेरा दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

नोट :- राज्यादेश के आदेशानुसार प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा के पश्चात् लाभुक के द्वारा अपना अंशदान जमा करने के बाद ही सरकारी अनुदान की राशि उनके खाता Escrow Account/Dedicated Account में हस्तांतरित किया जाएगा।

मुखिया का हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं तिथि

राज्य योजना अन्तर्गत जोड़ा बैल योजना वित्तीय वर्ष 2024-25

—: स्व घोषणा-पत्र :—

मैं पिता/पति ग्राम
पोस्ट..... पंचायत प्रखण्ड का स्थायी निवासी हूँ पूरे होशो
हवास एवं स्वच्छ चित मन से शपथ पूर्वक करता/करती हूँ कि —

1. राज्य योजना अन्तर्गत जोड़ा बैल योजनान्तर्गत योजना से लाभान्वित होने हेतु मुझे चयन किया जाने की सूचना प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर लाभुक अंशदान की राशि मेरे द्वारा Escrow Account खाता में जमा कर जमा रसीद की छायाप्रति जिला पशुपालन कार्यालय, गढ़वा में जमा करूँगा। ऐसा नहीं होने के स्थिति में मेरे स्थान पर प्रतिक्षा सूची में अंकित अन्य लाभुक को योजना का लाभ दे दिया जा सकता है, जिसके लिए मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गई पशु/पक्षी की बिक्री अथवा किसी को हस्तान्तरित नहीं करूँगा/करूँगी।

उपर्युक्त कंडिका 1 से 2 में अंकित कथन पूर्णतः सत्य है एवं यह घोषणा पत्र में बिना किसी भय, दबाव तथा प्रलोभन के तैयार करवा कर दे रहा/रही हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

(योजना की लागत)

योजना का नाम	अनुदान की प्रतिशत	कुल योजना की राशि	सरकारी अनुदान	लाभुक अंशदान राशि
राज्य योजना अन्तर्गत जोड़ा बैल वितरण योजना	90%	40,000.00	36,000.00	4,000.00

दिशा निर्देश :-

1. पूर्व में लाभुक द्वारा पशुपालन से संबंधित किसी भी विभाग से लाभान्वित होंगे तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा।
2. योजना का क्रियान्वयन अभिश्रव एवं अनुश्रवण आदि का कार्य प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

निदेशानुसार
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
गढ़वा।